प्रपत्र–4

परियोजना का नाम :– जनपद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019–20) केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रूड़की–लक्सर–बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 15.11.2021 से 22.11.2021 को प्रश्नगत परियोजना के लिए वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैंयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री मंयक गर्ग, वन क्षेत्राधिकारी रूड़की एवं श्री अमन सिंह, वन दरोगा, श्री पंकज शर्मा, वन दरोगा तथा प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री मिनाजुल हक, सहायक अभियनता, श्री अनिल कुमार, अपर सहायक अभियन्ता, श्री ललित चौहान, कनिष्ठ अभियन्ता निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित संरक्षित वन भूमि 3.60 है0 एवं नाप भूमि 0.00 है0 प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाए गए अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरेखण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से मार्ग में यातायात करने वाली जनसंख्या लाभान्वित होगी। आवेदित वन भूमि में 539 वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है। प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व कार्ययोजना में उल्लेख नहीं किया गया है, तथा ईकोक्लास........ है।

आवेदित वन भूमि में प्रभावित वृक्षों की संख्या 539 है। (अन्य आवश्यक विवरण यदि कोई हो) ....
....
....

कनिष्ठ अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून	सहायक अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून	अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून
(राजस्व विभाग का प्रतिनिधि)	(वन विभाग का प्रतिनिधि)	(जिलाधिकारी) जिलाधिकारी हरिद्वार
(प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार) प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार	ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट (सम्बन्धित उप जिलाधिकारी)	

प्रपत्र–4

परियोजना का नाम :– जनपद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019–20) केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रूड़की–लक्सर–बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 15.11.2021 से 22.11.2021 को प्रश्नगत परियोजना के लिए वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री गौरव कुमार अग्रवाल, वन क्षेत्राधिकारी लक्सर एवं श्री जाति राम, वन दरोगा, श्रीमती सोनी पंवार, वन दरोगा तथा प्रस्तावक विभाग की ओर से एम0एस0नेगी, सहायक अभियन्ता, श्रीमती दीपा, अपर सहायक अभियन्ता, श्री आशीष अरोड़ा, अपर सहायक अभियन्ता निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित संरक्षित वन भूमि 3.72 है0 एवं नाप भूमि 0.00है0 प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाए गए अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरेखण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से मार्ग में यातायात करने वाली जनसंख्या लाभान्वित होगी। आवेदित वन भूमि में 445 वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है। प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व कार्ययोजना में उल्लेख नहीं है, तथा ईकोक्लास........ है।

आवेदित वन भूमि में प्रभावित वृक्षों की संख्या 445 है। (अन्य आवश्यक विवरण यदि कोई हो) ....

....

....

कनिष्ठ अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून	सहायक अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून	अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून
22/2/22 (राजस्व विभाग का प्रतिनिधि)	(गौरव कुमार अग्रवाल) (वन क्षेत्राधिकारी लक्सर) (वन विभाग का प्रतिनिधि)	(जिलाधिकारी) जिलाधिकारी हरिद्वार
(प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार) उप वन संरक्षक हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार	तहसीलदार लकसर	(सम्बन्धित उप जिलाधिकारी) उपजिलाधिकारी लकसर